

CR 618/23

Dismissed

20.01.24

20/1/2024

अभियोगी को ओर से समझाया
दिया गया।

वाद छुड़ा गया जब-जब पुनः
पुनः परवानगी अभियोगी या उनके निहित अधिकार
आमापन में उपस्थित नहीं हुए।

वाद अभियोग्य का अपरफेक्ट सिद्ध।
अभियोग्य अपरफेक्ट से निर्दिष्ट होता है कि
उक्त वाद अपरफेक्ट है किंवा नहीं का यह है।
अभियोगी को ओर से निर्देश 18/8/23 के परिपत्र
पर दायित्व दिया गया। अभियोगी अपरफेक्ट होने
का तब आमापन में उपस्थित नहीं हुए। अभियोग्य
को पूर्व में भी उपस्थित होने का निर्देश दिया
गया। परन्तु अभियोगी काप में आमापन में
उपस्थित नहीं हुए ऐसा प्रतीत होता है कि
अभियोगी को इस वाद में कोई अभिकल्प नहीं रह
गया है। ऐसा सिद्ध है कि अभियोगी स्वयं को ओर
से दायित्व समझाया भी स्वीकृत किया जाता है।

अतः इस वाद में कार्य 203 CrP
के अंतर्गत खारिज किया जाता है। कार्यवाही
विपक्ष नियमानुसार अभियोग्य अभियोग्यवादा में
प्रति की।

Op
I
Suf.